फर्द अहकाम
(नियम–26)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री गणपत लाल पिता रामेश्वर लाल सालवी मु. पो. भाणुजा, पं. स. बडीसादडी

बनाम

सचिव ग्राम पंचायत भाणुजा, पंचायत समिति, बडीसादडी

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 52/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.2018	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री गणपत लाल पिता रामेश्वर लाल सालवी मु. पो. भाणुजा, पं. स. बडीसादडी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु सचिव, ग्राम पंचायत, भाणुजा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर, सचिव, ग्राम पंचायत, भाणुजा द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नही कराने से अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बडीसादडी के यहां प्रस्तुत की, किन्तु अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। सचिव, ग्राम पंचायत भाणुजा, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। चूंकि सचिव, ग्राम पंचायत भाणुजा, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नही आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नही की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।	